मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ: 6-14/2012/अ-ग्यारह भोपाल, दिनांक: 04.01.2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः-मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 में संशोधन।

राज्य शासन एतद् द्वारा वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 6-14/2012/अ-ग्यारह, दिनांक 28.07.2015 से जारी "मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015" में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है:-

1/ नियम 25.3 के पश्चात् निम्नानुसार नया नियम 25.4 अंतःस्थापित किया जाता है :-

"25.4 निविदा में एल-1 का निर्धारण:

अखिल भारतीय स्तर की निविदा में प्रदेश के उद्यम द्वारा प्रस्तुत दरों में प्रदेश के वैट कर की राशि को छोड़कर तथा प्रदेश के बाहर की इकाईयों की दरों में केन्द्रीय विक्रय कर की राशि जोड़कर प्राप्त दरों के आधार पर एल-1 दरों का निर्धारण किया जावेगा।"

2/ नियम 25.2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"25.2 निविदा में मूल्य कोटेशन :

(क) आरक्षित वस्तुएं :

उपार्जनकर्ता अभिकरणों द्वारा आरक्षित वस्तुओं के दर संविदा (रेट कान्ट्रेक्ट) हेतु राज्य एवं अखिल भारतीय निविदा में सहभागी प्रदेश के सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों, जिन्होंने L-1+15% के मूल्य बैंड के भीतर निविदा में दरें प्रस्तुत की हैं, वहां उनके मूल्य को L-1 मूल्य के स्तर पर लाकर उनकी क्षमता के दृष्टिगत कुल निविदा मूल्य के अधिकतम 50 प्रतिशत तक के आपूर्ति की अनुमति होगी।

(ख) अनारक्षित वस्तुएं :

उपार्जनकर्ता अभिकरणों द्वारा अनारक्षित वस्तुओं हेतु राज्य एवं अखिल भारतीय निविदा में सहभागी प्रदेश के प्रथम तीन सूक्ष्म और लघु उद्यमों जिन्होनें L-1+15% के मूल्य बैंड के भीतर निविदा में दरें प्रस्तुत की है, वहां उनके मूल्य को L-1 मूल्य के स्तर पर लाकर उनकी क्षमता के दृष्टिगत कुल निविदा मूल्य के अधिकतम 50 प्रतिशत तक के आपूर्ति की अनुमति होगी।"

3/ नियम 2015 के परिशिष्ट-ब के अंत में निम्नानुसार कण्डिका 4 जोड़ी जाती है :-

"(4) मध्यप्रदेश राज्य पॉवरलूम बुनकर सहकारी संघ, बुरहानपुर :-

(i) समस्त प्रकार के सूती, ऊनी, रेशमी एवं मिश्रित मिल निर्मित धागे से निर्मित वस्त्र।

- 8 JAN 2016

(ii) पुरूष कर्मचारी की वर्दी -पेंट, शर्ट, टोपी का कपड़ा।

(iii) महिला कर्मचारियों की वर्दी- साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट एवं सलवार सूट का कपड़ा।

(iv) सिले सिलाये कोट।"

4/ नियम 26.2 के पश्चात् निम्नानुसार नये नियम अंतःस्थापित किये जाते हैं :-

"26.3 प्रदेश के पॉवरलूम बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्र जो परिशिष्ट "ब" के सरल क्रमांक 04 पर अंकित है तथा जो समय-समय पर पुनरीक्षण के अध्याधीन है, उन्हें बिना निविदा बुलाये सीधे म.प्र. पॉवरलूम बुनकर सहकारी संघ से क्रय किया जा सकेगा।

26.3.1 म.प्र. पॉवरलूम बुनकर सहकारी संघ द्वारा प्रदाय किये जाने वाले वस्त्रों की दरों का निर्धारण उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जावेगा।

26.3.2 प्रदाय किये जाने वाले वस्त्र के दर निर्धारण तथा प्रदाय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के विस्तृत निर्देश वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा जारी किये जावेंगे"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग.

- 8 JAN 2016

पृ०क्र० एफ: 6-14/2012/अ-ग्यारह भोपाल, दिनांक 04 .01.2016

प्रतिलिपि:-

1 अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।

2 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी ग्वालियर।

3 मान. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।

4 सचिव, लोकसेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर।

5 सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।

6 उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।

7 प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

8 उप नियंत्रक, शासन, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

9 प्रेस अधिकारी जनसम्पर्क एवं प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल।

(अनिल भारतीय)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग.

- 8 JAN 2016